

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व आवकारी टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा 150 पौआ शराब हरियाणा मार्का नाजायज वरामद:- थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस व आवकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.9.20 को समय 15.10 वजे वलराज हाल के पास पावी से अभियुक्त दीपक पुत्र राजवीर नि0 पूजा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद को 150 पौआ शराब हरियाणा मार्का नाजायज के गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह हरियाणा प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामो पर बेचकर अपना खर्चा चलाते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

दीपक पुत्र राजवीर नि0 पूजा कालौनी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 557/20 धारा 60/63 आव0 अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

बरामदगी का विवरण -

150 पौआ शराब हरियाणा मार्का नाजायज वरामद ।



62 पच्चे अग्रेजी शराब नाजायज अरुणाचल प्रदेश मार्का के साथ 02 नफर अभियुक्तगण

गिरफ्तार:- थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण को मय 32 पच्चे अग्रेजी शराब नाजायज CRAZY ROMEO WHISKY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY के साथ गिरफ्तार किया गया -

गिरफ्तारी का विवरण:-

62 पच्चे अग्रेजी शराब नाजायज के साथ 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार - दिनांक 14.09.20 को मुखबिर की सूचना पर इकला रोड टी पोइन्ट से अभि0गण (1) गौरव पुत्र शीषपाल व (2) सौरभ पुत्र शीषपाल नि0गण ग्राम दीनानाथपुर पूठी थाना मसूरी गाजियाबाद को समय 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से क्रमशः 32 पच्चे व 30 पच्चे कुल 62 पच्चे CRAZY ROMEO WHISKY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY शराब नाजायज बरामद हुये । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 496/20 व 497/20 धारा 60/63 Ex Act पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त -

- (1) गौरव पुत्र शीषपाल नि. ग्राम दीनानाथपुर पूठी थाना मसूरी गाजियाबाद ।
- (2) सौरभ पुत्र शीषपाल नि. ग्राम दीनानाथपुर पूठी थाना मसूरी गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 496 /20 धारा 60/63 Ex Act थाना मसूरी गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 497 /20 धारा 60/63 Ex Act थाना मसूरी गा0बाद ।



थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल, पर्स लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश 04

अभियुक्तगण मय लूटे गये मोबाइल, रूपये, पर्स व घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित गिरफ्तार:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व और क्षेत्राधिकारी इन्दिरापुरम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 13/09/20 को 04 लड़कों द्वारा ई-रिक्शा रूकवाकर वादी का मोबाइल सैमसंग जे-4 व 700 रूपये और पर्स चहरे पर चाबी से घायल करके छीनकर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 1633/20 धारा 394/504 भादवि पंजीकृत कराया था । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा जनपद में लूट/जघन्य अपराध/ आतंकी घटनाओं अन्य से बचाव व धरपकड़ हेतु जनपद में नई चैकिंग स्कीम लागू की गयी है । इसी चैकिंग स्कीम के तहत आज दिनांक 14.09.2020 को काला पत्थर रोड अभयखण्ड से अभियुक्तगण 1. अमन राजपूत 2. हिमांशु रावत 3. कुनाल उर्फ पुण्डीर व 4. सौरभ शर्मा को चैकिंग के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0नि0 सत्यवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया । इनके कब्जे से उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित लूटा गया मोबाइल सैमसंग जे-4 व 700 रूपये और पर्स और आई.डी. तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी नम्बर UP14EL 3063 बरामद हुई है । अभियोग में धारा 411 भादवि की बढौतरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- अमन राजपूत पुत्र चन्दन सिंह निवासी अमर विहार गली नं0- 02 वीरबल चौकी के पास थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।
- हिमांशु रावत पुत्र गोपाल सिंह निवासी गंगा विहार गली नं0- 3 मंगल बाजार रोड थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।
- कुनाल उर्फ पुण्डीर पुत्र राकेश कुमार निवासी प्रताप विहार थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।
- सौरभ शर्मा पुत्र इन्द्रजीत शर्मा निवासी खोड़ा मंगल बाजार थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त कुनाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1086/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 972/2018 धारा 324 भादवि थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।

3. मु0अ0सं0 1633/2020 धारा 394/504/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद
अभियुक्तगण अमन राजपूत, हिमांशु रावत व सौरभ शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1633/2020 धारा 394/504/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद
अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

- 1- 01अदद मोबाईल फोन सैमसंग जे-4
- 2- 700 रूपये
- 3- पर्स व आई.डी., पैन कार्ड, आधार कार्ड वादी
- 4- घटना में प्रयुक्त स्कूटी नं0 UP14EL 3063



थाना कविनगर पुलिस द्वारा महिला पर हमला कर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार:- दिनांक 12.09.2020 को थाना कविनगर पर वादी श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम रजापुर द्वारा एफआईआर पंजीकृत करायी गयी कि उसकी पत्नी श्रीमती मुकेश देवी पर पडोसी सुनील पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम रजापुर द्वारा लोहे की कुर्सी से हमला कर मारपीट की गयी जिससे उन्हे गम्भीर चोट आयी है। इस सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1276/20 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा दिये गये निर्देश के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशन निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 हरेन्द्र पाल सिंह द्वारा दिनांक 15.09.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मजरूब को मैडिकल रिपोर्ट में आयी चोटों के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जरा सी कहा सुनी एवं वाद विवाद में महिला पर हमलावर हो गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सुनील चौधरी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

मु0अ0सं0 1276/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कविनगर



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 230 अद्द नशीली गोलिया अल्प्राजोलम नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय, गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को चैकिंग गस्त के दौरान कैला चौक कैला भट्टा से एक अभियुक्त फरमान उर्फ नागा पुत्र छोटे कुरेशी नि० मुख्तार होटल के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गा०बाद को 230 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है। ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह नशे के आदी लोगो को नशीली गोलिया बेचकर अपना व अपने परिवार जनो का भरण पोषण करता है। अभियुक्त ने बताया कि वह थाना जीआरपी से पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. फरमान उर्फ नागा पुत्र छोटे कुरेशी नि० मुख्तार होट के पास समाने वाली गली कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गा०बाद

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 622/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु०अ०सं० 513/2019 धारा 414 भादवि थाना जीआरपी गाजियाबाद।
3. मु०अ०सं० 485/2019 धारा धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० संदीप कुमार सिंह
2. उ०नि० संजीव कुमार
3. का० विपिन कुमार
4. का० संजय कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 230 अद्द नशीली गोलिया अल्प्राजोलम।



हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार :- दिनांक 14.09.2020 समय 23.15 बजे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दौरान गश्त व चैकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रसेवे पुल के पास से एक व्यक्ति दीपक पुत्र महेन्द्र नि0 डीलना थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक अदद तमंचा व एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये गिरफ्तार अभियुक्त दीपक पुत्र महेन्द्र नि0 डीलना थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ने बताया कि मैं तमन्चा शौक / सुरक्षा के लिए रखता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक पुत्र महेन्द्र नि0 डीलना थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु.अ.स. 344/20 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद। (वांछित)
2. मु.अ.स. 382/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद।

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर,



थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुये उसके कब्जे से 1995 रुपये व एक नोट पैड सट्टा पैन्सिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा सट्टा खेलने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिनके कब्जे से 1995 रुपये व एक नोट पैड सट्टा पैन्सिल बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 361/20 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.09.2020 को उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार मय हमराही के जब गश्त में मामूर थे तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मौसम बिहार पाना की टंकी के पास सट्टे की खाई बाड़ी हो रही है। मुखबिर की सूचना पर मौसम बिहार पानी की टंकी के पास देखा तो एक व्यक्ति सट्टे की खाई बाड़ी कर रहा है। जिसे उ0नि0 द्वारा मय हमराहीयान के दविश देकर पकड़ लिया जिसके कब्जे से एक नोट पैड सट्टा पेन्सिल व 1995 रुपये बरामद हुये

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. खुर्शद पुत्र शौकत चौधरी नि0 ग्राम कसेखा थाना शाहपुर जिला मु0नगर हाल पता किरायेदार मकान सलीम कुरैशी मो0 कुरैशियान पसौंडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0स0 361/20 धारा 13 जी एक्ट थाना टीलामोड़

अपराधिकगण से बरामदगी

1. एक नोट पैड सट्टा व पैन्सिल व 1995 रुपये



थाना कविनगर पुलिस द्वारा घर से चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार चोरी का सामान

बरामद :- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा घर में चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियानके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशन निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 14.09.2020 को बालाजी एन्कलेव से घर से चोरी करने वाला एक अभियुक्त राहुल पुत्र सतवीर सिंह निवासी सुरेश प्रधान वाली गली ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर गाजियाबाद मय मु0अ0सं0 1277/20 धारा 380 भादवि थाना कविनगर में चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा पडोसी के बन्द पडे घर में चोरी करना तथा दिनांक 14.09.2020 को मु0अ0सं0 1277/20 धारा 380 भादवि के चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल पुत्र सतवीर सिंह निवासी सुरेश प्रधान वाली गली ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद कूलर खैतान कम्पनी रंग सिल्वर, एक एलपीजी गैस सिलेन्डर इन्डेन, एलईटी सैमसंग, एक चूल्हा इन्डेक्शन एक थैला जिसमें 03 साडी 5 जोडी पैन्ट शर्ट, पीली धातु के आभूषण (एक जोडी की झुमकी, एक माथे का टीका, तीन जोडी पैरो के बिछुए)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

1- मु0अ0सं0 1277/20 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, दिल्ली से चोरी एक अदद कार आई 10 ग्रान्ड एक

अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर किया गया :-श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरो करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियानके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशन निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 अनिल कुमार मय हमराह उ0नि0 रामगोपाल व उ0नि0 अनुरुद्ध कुमार के 02 वाहन चोर (1) यश त्यागी (2) रोहित गौर उर्फ अंशु को मय चोरी की गाडी कार आई 10 ग्रान्ड नं0 DL12 CL 8745 इंजन न0 G4LAHM 464047 चेसिस नं0 MALA851CLHM656336 सम्बन्धित मु0अ0सं0 2627/18 धारा 379 भादवि थाना एम वी थैफ्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली व अभियुक्त रोहित के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. यश त्यागी पुत्र अनिल त्यागी निवासी ए 456 शिव मंदिर मार्ग साउथ गणेश नगर दिल्ली 92 मूल निवासी ग्राम मोरटा थाना मुरादनगर गाजियाबाद ।
2. रोहित गौर उर्फ अंशु पुत्र वीरेन्द्र गौर नि0 ए 10/432 साउथ गणेश नगर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद कार आई 10 ग्रान्ड नं0 DL12 CL 8745 इंजन न0 G4LAHM 464047 चेसिस नं0 MALA851CLHM656336 सम्बन्धित मु0अ0सं0 2627/18 धारा 379 भादवि थाना एम वी थैफ्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली
2. एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

1. मु0अ0सं0 1285/20 धारा 411/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम यश त्यागी व रोहित गौर उर्फ अंशु
2. मु0अ0सं0 1286/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम रोहित अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 1 किलो

400ग्राम गांजा नाजायज बरामद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय, गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 15.09.2020 को चैकिंग गस्त के दौरान जस्सीपुरा कट से दुधेश्वरनाथ मन्दिर की ओर से एक अभियुक्त राहुल पुत्र श्रीचन्द्र नि० म०नं० 79 कल्लूपुरा अम्बेडकर भवन थाना कोतवाली नगर गा०बाद को 01 किलो 400ग्राम नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अवैध नशे का कारोबार करता है। एवं नशे के आदी लोगो को गांजा बेचकर अपना व अपने परिवार जनो का भरण पोषण करता है। अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में कई बार अवैध नशे के कारोबार में एवं सटटा कराने के आरोप में जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

2. राहुल पुत्र श्री चन्द्र नि० म०नं० 79 कल्लूपुरा डासना गेट, अम्बेडकर भवन के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 623/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु०अ०सं० 540/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. मु०अ०सं० 57/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
4. मु०अ०सं० 129/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. मु०अ०सं० 30/2016 धारा 60 आब० अधि० थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
6. मु०अ०सं० 187/2014 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि० थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
7. मु०अ०सं० 443/2013 धारा 323,324,504 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
8. मु०अ०सं० 366/11 धारा 13 जुआ अधि० थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

2. 1 किलो 400ग्राम नाजायज गांजा।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक शातिर ट्रैक्टर चोर मय ट्रैक्टर के किया गया गिरफ्तार:-

थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 26/06/2020 को थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं.800/2020 धारा 379/406/411/482 भादवि की घटना कारित करने वाले एक चोर राहुल ठाकुर को दिनांक 15/09/2020 को थाना क्षेत्र विजयनगर गा०बाद से मय चोरी के आईसर ट्रैक्टर 485 रंग सिल्वर नं० न०. UP 14 AY 4447 के गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- राहुल ठाकुर पुत्र आदेश सिंह नि० ग्राम विछुरेया थाना भमौरा जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 800/2020 धारा 379/406/411/482 भादवि थाना विजयनगर गा0बाद

बरामदगी का विवरण

1- आईसर ट्रेक्टर 485 रंग सिल्वर नं0 न0. UP 14 AY 4447



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 170 ग्राम नशीला पाऊडर (एलप्राजोलम) व एक खाली रैपर (एलप्राजोलम) तथा एक रैपर के अन्दर 3 गोलिया नशीली (एलप्राजोलम) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार - थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 15.09.2020 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी अभय कुमार को नाजायज नशीले पाऊडर व गोलियां (एलप्राजोलम) के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 170 ग्राम नशीला पाऊडर (एलप्राजोलम) व एक खाली रैपर (एलप्राजोलम) तथा एक रैपर के अन्दर 3 गोलिया नशीली (एलप्राजोलम) बरामद हुई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- अभय कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 राहुल विहरा- 1 (बहरामपुर) थाना विजयनगर गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1227/20 धारा 8/22 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद बनाम अभय कुमार

बरामदगी का विवरण

170 ग्राम नशीला पाऊडर (एलप्राजोलम) व एक खाली रैपर (एलप्राजोलम) तथा एक रैपर के अन्दर 3 गोलिया नशीली (एलप्राजोलम) अभियुक्त अभय कुमार से बरामद



01 शातिर अभियुक्त छीने हुये मोवाईल सहित गिरफ्तार:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में चलाये गये लुटेरो के विरुद्ध अभियान के क्रम मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.09.2020 समय 22.30 बजे चैकिंग के दौरान प्रकाश नगर चौकी क्षेत्र प्रगति विहार से 01 शातिर वांछित अभियुक्त को छीने गये मोवाईल सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण

- पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के दौरान 1 शातिर वांछित अभियुक्त को छीने गये मोवाईल सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री सुशील पुत्र सत्यनारायण नि0 प्रगति विहार गली नं0 8 थाना खोडा गाजियाबाद मो0नं0 8588994981 ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित व दस्तखती खुद दिनांकित 13/09/20 बावत काली स्पलेन्डर पर सवार दो लडके जिनमें से एक विपिन पुत्र नन्द किशोर नि0 आजाद विहार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का लेनोवो का मोबाईल, जिसका EMI NO. 867124027801596 व IMEI 867124027801604 , रंग काला है, छीन ले जाने के सम्बन्ध में लाकर दाखिल की। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 532/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

1. बिपिन पुत्र नन्दकिशोर निवासी आजाद विहार थाना खोडा गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

(1) मु0अ0सं0 532/20 धारा 392 भादवि थाना खोडा गाजियाबाद।

बरामदगी

- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद छीने गये मोवाईल लेनोवो जिसका EMI NO. 867124027801596 व IMEI 867124027801604 , रंग काला बरामद



लोनी पुलिस द्वारा गौकशी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले एक अभियुक्त को दिनांक 15.09.2020 समय 12.20 बजे गणेश हास्पिटल के पास चौकी रूपनगर से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं गौकशी कर गौवंश के मास के बेचकर रुपये कमाता हूँ । अभियुक्त का यह जुर्म धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० की हद को पहुंचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि०गण:-

1. राशिद पुत्र स्व० हनीफ नि० कुरैशियान मस्जिद के पास जमालपुरा लोनी गा०बाद

आपराधिक विवरण:-

मु०अ०सं०- 497/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लोनी गा०बाद

